कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनेट के पीछे, भोपाल)
e- mail: principal@klsgaci.nic.in
webmaster@klsgaci.nic.in
Website: http://klsgaci.nic.in
Phone: 0755-2970310

क्रमांक / स्था. / 2023 / 1830

भोपाल दिनांक 13/7/23

–:: संस्कृत अतिथि अध्यापक के रूप में सेवायें अनुबंधित करने हेतु नियम एवं शर्तें ::–

1. यह अनुबंध अंशकालिक तथा सत्र–2023–24 हेतु है। संबंधित पद पर नियमित पदस्थापना होने अथवा सत्र समाप्ति (जो भी पहले हो) होने पर अनुबंध स्वमेव ही समाप्त हो जायेगा।
2. संस्थान कार्यकारणी समिति द्वारा पारित निर्णयानुसार मानदेय प्रतिकाल खण्ड रूपये 500/– (राशि पांच सौ रूपये मात्र) देय होंगे जो कि प्रतिमाह राशि रूपये 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होंगे।
3. संस्थान में प्रवेशित यू.जी. पाठयक्रम के अन्तर्गत छात्र छात्राओं को संस्कृत विषय के अध्यापन हेतु अध्यापन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अतिथि अध्यापक की सहमति के साथ उक्त अनुबंध आगामी शिक्षण सत्रों हेतु बढ़ाया जा सकेगा।
4. संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष (संहिता सिद्धांत) के माध्यम से उपस्थिति सत्यापित होने के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।
5. किसी भी स्थिति में अतिथि अध्यापक किसी गैर–कानूनी अथवा राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा।
6. बिना किसी पूर्व सूचना के निरन्तर 06 दिवस अनुपस्थित रहने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। जिसकी कोई पूर्व सूचना पृथक से नहीं दी जायेगी।
7. यह सेवाएं पूर्णतः अंशकालिक अनुबंध मात्र है। नियमितीकरण से संबंधित कभी–भी कोई भी दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा।
8. छात्रों की अनुपस्थिति अवधि में, विश्वविद्यालयीन अवकाश एवं शासकीय अवकाश के दिनों में कक्षाओं का संपादन नहीं होने के कारण उक्त दिनों हेतु मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य / मुख्य कार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
10. अनुबंधित उम्मीदवार को आमत्रंण के पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह अन्य शासकीय / अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।
11. संस्कृत अतिथि अध्यापक किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जाएगें, और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवक" नहीं माने जायेंगे।
12. कालखण्ड की अवधि संस्थान द्वारा जारी समय–चक्र के अनुसार रहेंगी।

(डॉ0 उमेश शुक्ला)
प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner